न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबूलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 87/2019 **{RCMS 2019/00160}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. मालीराम पुत्र रामचन्द्र जाति पारीक निवासी राधाकिशनपुरा सीकर हाल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :– राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :– 11.10.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 अनुसार ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 977/595 रकबा 1.2555 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रतिवादी ने उक्त खसरा की भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के पानी का आर.ओ. प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का अड़कसर ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 11.07.2019 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act के तहत प्रकरण सं. 15/2019 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 977/595 रकबा 1.2555 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम को प्रतिवादी के हक हिस्से को रा[illegible] कर मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये अखबार स्थानीय सम्मन जारी कर तलबी की गई, दिनॉक 27.02.2020 दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल मिसल की गई, प्रतिवादी को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादी के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 की नकल प्रस्तुत की।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 977 / 595 रकबा 1.2555 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये पानी का आर.ओ.प्लान्ट लगाकर निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2076–79 अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- अड्कसर	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- अड्कसर	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- चितावा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 289
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 57

काश्तकार का नाम:-

1. मालीराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- पूर्ण जाति- पारीक सा. राधाकिशनपुरा सीकर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी .
977/595	1.2555	बारानी 1	1.2555	6.28		स्वीक्रत नामांतरकरण : 1048 11/04/2019 विभाजन	
कुल खसरे - 1	1.2555		1.2555	6.2800			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

प्रश्नगत खसरा नम्बर 977 / 595 रकबा 1.2555 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में उपरोक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा पानी का आर.ओ.प्लांट लगाकर निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 977 / 595 रकबा 1.2555 हैक्टर में प्रतिवादी मालीराम पुत्र रामचन्द्र जाति पारीक निवासी रघुनाथपुरा सीकर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जा[illegible]

आदेश आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:46 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 87/2019 **{RCMS 2019/00160}**

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. मालीराम पुत्र रामचन्द्र जाति पारीक निवासी रघुनाथपुरा सीकर हाल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम अड़कसर के खसरा नम्बर 977/595 रकबा 1.2555 हैक्टर में प्रतिवादी मालीराम पुत्र रामचन्द्र जाति पारीक निवासी रघुनाथपुरा सीकर (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) को राजकीय खाते में दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 11.10.2021 को जारी की गई।

दस्तखत.......... उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.......... (मुहर) कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:16:46 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरएक फरिक का जो डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए